



ऑटोमोटिव पार्ट्स मर्चेन्ट्स एसोसिएशन (रजि.)

AUTOMOTIVE PARTS MERCHANTS ASSOCIATION(Regd.)

(Regd No. S/2999 of 1966-67)

10, APMA BHAWAN, 1ST FLOOR, VARDAN HOUSE, CHABI GANJ, KASHMERE GATE, DELHI-110006

Phone : 23967505, 23948000,

E-mail : mailto:apma1965@yahoo.in

Website : <http://www.apma.in>

VISHNU BHARGAVA

PRESIDENT

Mobile : 9811139614

VINAY NARANG

Hony. General Secretary

Mobile : 9810193816

UMESH SETH

Hony. Treasurer

Mobile : 9999007000

सरकूलर नं०: अपमा / 2018–2020 / 192

दिनांक :

6–6–2020.

प्रिय व्यापारी भाईयों,

जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1 जून 2020 से सभी बाजार खुल गये हैं और धीरे-धीरे व्यापारी के आने की तादात भी बढ़ गई है और संक्रमण फैलने का खतरा भी बढ़ गया है। हमारे कश्मीरी गेट मार्किट में भी चार-पांच लोग कोरोना पॉजिटिव पाये गये हैं इसकी वजह से आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। संक्रमण होने के बाद सरकार द्वारा दिये गये दिशा-निर्देश इस प्रकार से हैं : –

कोरोना वायरस के होने पर किए जाने वाले उपाय :-

साथियों, उपरोक्त उपायों को कार्यालय में करने के बावजूद, कर्मचारियों के बीच कोराना वायरस के मामलों की घटना होती है जो उसके लिए जब एक या कुछ व्यक्ति जो एक कमरे/करीबी कार्यालय स्थान साझा करते हैं, उनमें कोविड-19 के लक्षणों से पीड़ित होने की संभावना ज्यादा होती है। ऐसे में निम्नलिखित उपाय किये जाने चाहिए :–

01. बीमार व्यक्ति को एक कमरे या कार्यालय क्षेत्र में रखें जहां वे दूसरों से अलग-थलग हों।

जब-तक डॉक्टर द्वारा उसकी जांच नहीं हो जाती है, तब तक उसे मास्क/फेस कवर प्रदान करें।

02. तुंरत निकटतम चिकित्सा सुविधा (अस्पताल/विलनिक) को सूचित करे या राज्य या जिला

हेल्पलाइन पर कॉल करें।

03. सार्वजानिक स्वास्थ्य प्रधिकरण(जिला आरआरटी/उपचार चिकित्सक) द्वारा पीड़ित बीमार

व्यक्ति के कीटाणुशोधन की जांच की जाएगी और आगे को सलाह देने के लिए, उससे संपर्क और जरूरत के बारे में बताया जाएगा।

04. संदिग्ध मामला यदि बहुत हल्के/हल्के लक्षणों की रिपोर्टिंग आती है तो बीमार व्यक्ति को

घर पर एंकात में रखा जाएगा। यदि गंभीर रिपोर्टिंग आती है तो स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के अनुसार उपचार किया जाएगा।

05. मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद कार्य स्थान के संपर्क ट्रेसिंग और कीटाणुशोधन

के लिए स्वास्थ्य टीम आवश्यक कार्य संबंधित कार्य शुरू करेगी।

जिला द्वारा उच्च और निम्न जोखिम संपर्कों में वर्गीकृत किया जाएगा।

01. उच्च जोखिम संपर्क व्यक्ति को 14 दिनों के लिए (Quarantined) में रखा जाएगा।

02. कम जोखिम वाले संपर्क व्यक्ति की देखभाल की जाएगी और अगले 14 दिनों के लिए उनके स्वास्थ्य पर बारीकी से निगरानी भी रखी जाएगी।

कायस्थल का बंद हाना :

01. 48 घंटे में किसी स्थानों/क्षेत्रों में कोविट-19 के मामले आते हैं तो उस स्थानों और क्षेत्रों को ऑफिस/दुकानों के प्रवेश/कार्य स्थल को बन्द करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार कीटाणुशोधन के बाद फिर स शुरू किया जाता है 02. हालांकि, अगर बड़ा प्रकोप होता है, तो भवन/ब्लॉक को 48 घंटे के लिए बंद करना होगा। तब-तक सभी कर्मचारी घर से काम करेंगे।
-

सरकूलर नं0: अपमा/2018–2020/193

प्रिय व्यापारी भाईयों,

कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु हम सभी को सावधानी बरतनी होगी, हमें सतर्क रहना होगा तभी हम स्वयं को और दूसरे को कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रभाव से बचा सकते हैं।

साथियों, लंच के समय आप किसी भी व्यक्ति/ग्राहक को अपनी दुकान के अन्दर ना आने दं और ना ही उस समय पैसे का लेन-देन करें, क्योंकि भोजन करते समय पैसे को छूने से भी कोरोना वायरस के संक्रमण फैलने की संभावना ज्यादा रहती है। सामाजिक दूरी बनाये रखने हेतु दुकान के बाहर एक रस्सी बांध लें और बाहर से ही ग्राहकों को सामान व पैसों का लन-देन करें और हाथों में दस्ताने अवश्य पहनें।

दोस्तों, आप सभी सामाजिक दूरी बनाये रखने का पालन करें। कुछ मार्किटों में गलियां बहुत छोटी हैं और उसके बावजूद भी कुछ व्यापारी भाई अपने कॉउन्टर व सामान को शटर के बाहर लगाते हैं जिससे मार्ग अवरुद्ध हो जाता है और गलियों में भीड़ लग जाती है, इससे सामाजिक दूरी खत्म हो जाती है और कोरोना वायरस संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ जाता है। अतः जिन व्यापारी भाईयों ने अपने कॉउन्टर व सामान दुकान के बाहर लगा रखें हैं, उनसे निवेदन है कि वर्तमान स्थिति को समझते हुए अपने सामान को दुकान के अन्दर ही रखें और संभव हो तो कम से कम सामान मंगवाये और अपने गोदामों में ही रखें ताकि ग्राहकों/व्यक्तियों को आने-जाने में परेशानी ना हो और कम से कम 2 गज की दूरी भी बनी रहें, इसलिए आप सभी व्यापारी भाईयों से पुनः निवेदन है कि आप अपनी दुकान के काउन्टर को शटर से बाहर ना निकाले ना ही सामान को निकालकर दुकान के आगे रखें। जान है तो जहान है, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, इसलिए आप सभी सामाजिक दूरी का पालन करते हुए सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखने में अपना सहयोग प्रदान करें। कृपया ध्यान देवें।

साथियों, कोरोना वायरस के केस आ रहें हैं लेकिन जल्द ही स्वस्थ होकर वापिस भी रहें हैं, आप बिल्कुल धबरायें नहीं। आप हर रोज थर्मामीटर से अपना और कर्मचारियों का शरीर का तापमान चैक करते रहें। कोरोना वायरस स बचाव हेतु आपकी संस्था की तरफ से मार्किट में सैनिटाईजर का छिड़काव किया जा रहा है। आप अपनी मार्किट में सैनिटाईजर के छिड़काव के लिए अपमा कार्यालय से सम्पर्क कर सकते हैं

सरकूलर नं0: अपमा / 2018–2020 / 194

“आवश्यक सूचनार्थ”

आप सभी व्यापारी भाईयों को सूचित किया जाता है कि गुरु नानक ऑटो मार्किट, सहगल मोटर मार्किट, चढ़ा बिल्डिंग के व्यापारी भाईयों ने आगामी सोमवार 8 जून 2020 से 22 जून 2020 तक उपरोक्त बाजार तीन दिन यानि सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खोलने का स्वेच्छा से फैसला लिया है और बाकी तीन दिन मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को उपरोक्त मार्किट नहीं खुलेगी। यह इन मार्किटों का यह निजी फैसला है। बाकी मार्किटों पर इसका कोई प्रभाव नहीं है। दिल्ली सरकार के आदेशानुसार बाकी सभी मार्किट खुलेंगी। कृपया आप नोट कर लें।

साथियों, आज दिनांक 6–6–2020 को अपमा सरकूलर नं0 191 एवं 191–ए को प्रकाशित किया गया था लेकिन कई टाईपिंग त्रुटियाँ होने के कारण उपरोक्त दोनों अपमा सरकूलर नं0 191 एवं 191–ए को तुरन्त प्रभावी रूप से निरस्त किया जाता है। त्रुटियाँ के कारण आपको जो असुविधा हुई है उसके लिए हमें खेद है।

(विनय नारंग)
महासचिव